



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 27 नवम्बर, 2024

थाना छतारी

छिनैती की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जें से छीने गये 01 जोड़ी कुंडल(पीली धातु), अवैध असलहा कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 26-11-2024 को थाना छतारी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कुंडल छीनने की घटना कारित करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को छीने गये कुंडल व अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना छतारी पर मुअसं- 437/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- संजय उर्फ सज्जन पुत्र हजारी लाल निवासी नंगला मान सिंह थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 जोड़ी कुंडल (पीली धातु)
- 2- 01 तमंचा मय 01 कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 16-11-2024 को थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहार के जंगल में एक महिला से कुंडल छीनने की घटना कारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं- 421/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्त संजय उर्फ सज्जन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 97/16 धारा 380,411 भादवि थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ।
2. मु0अ0स0 220/18 धारा 120बी,201,302 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
3. मु0अ0स0 421/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-437/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री संदीप कुमार थानाध्यक्ष छतारी
2. उ0नि0 रामकुमार राम
3. है0का0 अरुण कुमार, का0 गगन कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर